



2026:AHC:14340

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45376 वर्ष 2025

अंकित तिवारी

.....आवेदक

बनाम

उ० प्र० राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता	:	धर्मराज सिंह, मनीष कुमार सिंह
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मराज सिंह तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह को सुना गया, तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया।

वर्तमान जमानत आवेदन तहत धारा 483, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 आवेदक अंकित तिवारी की ओर से थाना बरसठी, जिला जौनपुर में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 8/22 के अधीन पंजीकृत वाद अपराध संख्या 2025 का 225 में उसे जमानत पर रिहा करने की याचना के साथ दायर किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क किया है कि आवेदक के कब्जे से 100 ग्राम भुर्रा (हेरोइन) बरामद होना आरोपित है, जो व्यापारिक मात्रा से कम है। आवेदक के विरुद्ध वर्तमान मामले के अतिरिक्त केवल एक आपराधिक मामला है। वास्तव में आवेदक से कोई ऐसी बरामदगी नहीं हुई। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि चूँकि ऐसी बरामदगी किसी स्वतन्त्र साक्षी द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए अपराध में उसे झूठा आलिप्त किये जाने की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे यह तर्क किया गया है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष एन०डी०पी०एस० अधिनियम की धारा 50 के उपबंधों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहा है। यह भी तर्क किया गया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे अनावश्यक उत्पीड़न करने तथा पीड़ित करने के उद्देश्य से वर्तमान अपराध में झूठा आलिप्त किया गया है। दिनांक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28.10.2025 से कारागार में निरुद्ध आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतन्त्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

प्रतिविपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत याचना का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि प्रतिबंधित पदार्थ की आपूर्ति में संलिप्त आवेदक की निर्दोषिता का निर्धारण विचारण-पूर्व चरण में नहीं किया जा सकता, इसलिए आवेदक किसी रियायत का पात्र नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः इसी प्रकार की गतिविधि में संलिप्त हो जाएगा।

मामले के तथ्यों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिदेश, आरोपों की प्रकृति, उनके समर्थन में साक्ष्य की प्रकृति, दोषसिद्धि की दशा में दण्ड की गम्भीरता, अभियुक्त-आवेदक के चरित्र, अभियुक्त की विशिष्ट परिस्थितियों, विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की युक्तियुक्त सम्भावना, गवाहों से छेड़छाड़ की युक्तियुक्त आशंका, जनसाधारण/राज्य के व्यापक हित तथा अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए, किन्तु गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, मेरी राय में यह जमानत प्रदान किये जाने का उपयुक्त मामला है।

तदनुसार, जमानत आवेदन अनुमत किया जाता है।

आवेदक अंकित तिवारी, जो उपरोक्त वाद अपराध में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर वैयक्तिक बन्धपत्र एवं समान राशि की दो विश्वसनीय प्रतिभूतियाँ प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाये:-

1. आवेदक अन्वेषण या विचारण के दौरान गवाहों को भयभीत करके/दबाव डालकर अभियोजन साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. आवेदक कोई स्थगन न माँगते हुए विचारण में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
3. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात् किसी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में वह जमानत निरस्त करने का आधार माना जाएगा। बन्धपत्र स्वीकार किये जाने से पूर्व आवेदक एवं प्रतिभूतियों की पहचान, हैसियत एवं निवास का सत्यापन सम्बन्धित न्यायालय द्वारा किया जाये।

(न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव)

20 जनवरी, 2026

विनोद

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।